वन विभाग

निविदा की निबन्धन तथा शर्तें

1. राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 तथा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियमावली, 1974 के समस्त उपबन्ध तत्समय प्रवृत तथा जहां तक कि वे क्रेताओं पर लागू होते हैं, निविदा के निबन्धनों तथा शर्तों के भाग के रूप में विशेषतः लागू होंगे।

2. निम्नलिखित शर्तों तथा निबन्धनों पर 31-1-20 को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि के लिये यथास्थिति राज्य सरकार उसके पदाधिकारी अथवा अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से परिदत्त तेन्दू पत्ते का क्रय तथा राजकीय वन एवं भूमियों से तेन्दू पत्ता संग्रहण काल में संग्रहण कर क्रय करने के लिये निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं।

3. इस सूचना के संलग्न प्रारूप में निविदा प्रस्तुत की जावेगी। यह निविदा प्रारूप किसी भी मण्डल वन अधिकारी से प्रत्येक प्रारूप के लिये 30/- रुपये देनगी पर प्राप्त किया जा सकेगा। यह देनगी वन विभाग द्वारा रुपया स्वीकार करने के मान्यता प्राप्त तरीकों में से किसी एक के अनुसार की जावेगी।

4. जब तक कि अन्यथा उल्लेखित न हो प्रत्येक इकाई के लिये एक पृथक निविदा होगी तथा कोई भी व्यक्ति या पक्ष एक इकाई के लिये एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा। उसी इकाई के लिये दो या उससे अधिक विभिन्न दरों की निविदाएं एक ही व्यक्ति या पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने पर उच्च दर की निविदा पर ही केवल विचार किया जावेगा तथा दूसरी निम्न दर/दरों की निविदा/निविदाओं के साथ वांछित रूप से जमा की गई बयानें की राशि का पूर्णतः अधिहरण कर लिया जावेगा। परन्तु यदि निम्न दर की निविदा के साथ वांछित रूप से बयाने की राशि जमा नहीं कराई गई तो उच्च दर की निविदा के साथ जमा की गई बयाने की राशि का अधिहरण कर लिया जावेगा तथा ऐसी दशा में उस उच्च दर की निविदा पर भी विचार नही किया जावेगा।

   इसके अतिरिक्त एक ही इकाई के लिये एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करने वाले ऐसे निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो, राज्य सरकार काली सूची में अंकित कर सकेगी।

5. अधिनियम तथा नियम द्वारा बीड़ी निर्माता या तेन्दू पत्ते के निर्यातक या आयातक के रूप में अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या पक्ष ही केवल क्रेताओं के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये हकदार होगा। निविदाकार मण्डल वन अधिकारी से उनके द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का क्रमांक तथा दिनांक का निविदा प्रारूप में वर्णन करेगा।

   (1) किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष की ओर से प्रस्ताव देने या हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी जावेगी जब तक कि वन संरक्षक के समक्ष ऐसा व्यक्ति या पक्ष जो कि उसके लिए अथवा उसके लिए कार्य करने के सक्षम बनाता है द्वारा निष्पादित की गई एटार्नी की शक्ति मूलतः प्रस्तुत न करें तथा उसकी प्रतिलिपि निविदा प्रत्र के साथ संलग्न न करें अथवा जिस फर्म का भागीदार होने का वह दावा करता है, उसके रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र एवं भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि प्रस्तुत न करें।

   (2) कोई भी व्यक्ति अथवा पक्ष जिस पर कि कोई राजकीय धनराशि बकाया है अथवा जिसे काली सूची में दर्ज किया जा चुका है अथवा निविदाएं देने से प्रतिबन्धित है ऐसे प्रतिबन्ध प्रभावशाली रहने तक निविदाएं नहीं दे सकेगा। यदि निविदा/निविदाएं प्रस्तुत की जावेगी तो अवैध मानी जावेगी तथा ऐसी निविदाओं के साथ वांछित रूप से जमा की गई बयाने की राशि का पूर्णतः अधिहरण कर लिया जावेगा।

   (3) किसी व्यक्ति अथवा पक्ष, जो अवयस्क हो, दिवालिया हो अथवा जो सदाचार के पतन के अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध हुआ हो, द्वारा प्रस्तुत निविदा/निविदाएं अवैध मानी जावेगी तथा ऐसी निविदाओं के साथ वांछित रूप से जमा की गई बयाने की राशि का पूर्णतः अधिहरण कर लिया जावेगा।

6. (1) प्रत्येक निविदा के साथ सम्बन्धित वृत्त के वन संरक्षक या मण्डल वन अधिकारी के पक्ष में बयाने की धनराशि के रूप में "राजस्व निक्षेप" शीर्षक खाते में भरण की गई धनराशि की प्राप्ति का कोषागार का चालान अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया अथवा/अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों का डिमाण्ड ड्राफ्ट होगा। बयाने की धन राशि क्रेता द्वारा दी गई निविदा राशि के 10 प्रतिशत जो किसी भी दशा में 500 रुपये (पांच सौ) से कम नहीं होगी के बराबर अथवा उससे अधिक होगी।

   (2) निविदाकार उपरोक्त बयाने की रकम एक ही वन मण्डल की अनेकों इकाइयों के लिये एक चालान अथवा एक बैंक ड्राफ्ट द्वारा निक्षेप कर सकता है तथा उसका क्रमांक और दिनांक सम्बन्धित इकाइयों के निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित करेगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार विभिन्न इकाइयों के लिये प्रस्तुत निविदाओं में जमा की गई धन राशि के विवरण का पत्रक यथास्थिति एक चालान अथवा बैंक ड्राफ्ट के साथ संलग्न करेगा।

   (3) बयाने की रकम पर किसी भी दशा में कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा

7. (1) निविदाकार एसी शुद्ध राशि, विक्रय कर, अन्य कर एवं संग्रहण व्यय को छोड़कर, प्रस्तावित करेगा जिस पर उस इकाई में राजकीय वन तथा भूमियों से तेन्दू पत्ता एकत्रित कर परिवहन करेगा तथा वह मात्रा भी परिदान में लेगा जो उसे राज्य सरकार उसके पदाधिकारी अथवा अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय करने के उपरान्त कच्चे रूप में बिना बोरे में भरे हुए होंगे तथा क्रेता के करारनामे में निहित विधि के अनुसार खरीदी जावेगी ।

(2) क्रेता तेन्दू पत्ता संग्रहण के समय तेन्दू के वृक्ष की छोटी डालियां व कच्ची पत्तियों को अनावश्यक रूप से क्षति नहीं पहुंचायेगा अगर क्रेता इस प्रकार की त्रुटि ठेका सत्र में तीन बार करेगा तो संम्बंधित मण्डल वन अधिकारी को ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा ।

(3) (I) प्रत्येक निविदाकार प्रत्येक इकाई के लिये जिसके क्रय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहता है, निविदा प्रारूप एवं वांछित अन्य प्रपत्रों के साथ इस निविदा सूचना के संलग्न प्रारूप में इकरारनामा निष्पादित करके संलग्न कर शर्त 8 में बताए अनुसार प्रस्तुत करेगा ।

(II) निविदा के साथ उपरोक्त प्रपत्र निष्पादित नहीं करने की अवस्था में ऐसी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निविदा के साथ वांछित रूप से जमा की गई बयाने की राशि को पूर्णतः अधिहृरण कर लिया जावेगा । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ऐसी कालावधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो, काली सूची में अंकित कर सकेगी ।

8. सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा बन्द मुहरबन्द लिफाफे में जिसमे निम्न शब्द एवं पता लिखा होगा, रखी जावेगी ।

(अन्दर का लिफाफा)

तेन्दू पत्ता क्रय करने हेतु निविदा

मण्डल.................................रेन्ज.................................यूनिट का क्रमांक एवं

नाम.................................दिनांक.....................जब निविदा प्रस्तुत की गई

या भेजी गई हो...

पता:-- श्री...

मुख्यवन संरक्षक..................................वृत्त सम्भाग.................................

डाकघर...

9. उपरोक्त लिफाफा एक दूसरे तथा मुद्रांकित लिफाफे में रख कर निम्नलिखित शब्दों तथा पते सहित प्रस्तुत किया जावेगा:

(बाहरी लिफाफा)

तेन्दू पत्ता क्रय करने हेतु निविदा

पता:-- श्री...

मुख्यवन संरक्षक..................................वृत्त सम्भाग.................................

डाकघर...

टिप्पणी:-भीतरी एवं बाहरी लिफाफे में उस मुख्य वन संरक्षक का नाम अंकित करें, जिसके अधिकार क्षेत्र में इकाई स्थित है।

(1) निविदा को आधारित करने वाला लिफाफा, जिस पर कि उन प्रभारी मुख्य वन संरक्षक का पता होगा जिसके की क्षेत्राधिकार में वह इकाई स्थित हो अथवा उनके कार्यालय अधीक्षक को या उस प्रभारी वन मण्डल अधिकारी को जिसके की क्षेत्राधिकार में वह स्थित हो पेश किया जा सकता है या डाक द्वारा ''रजिस्ट्रीकृत प्राप्त अभिस्वीकृति'' से भेजे जाएं ताकि वे.................................तक पहुंच जाएं ।

(2) सशर्त निविदा, दूरलेख प्रेषित निविदा अथवा विहित रीति के अतिरिक्त अन्य किसी रीति द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी ।

(3) निश्चित समय और दिनांक के पश्चात प्राप्त अथवा पेश की गई निविदाएं ग्रहण नहीं की जावेगी ।

10. (क) सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक द्वारा उनके संभाग/वृत्त की निविदाएं निविदाकारों के समक्ष जो कि उपस्थित होना चाहें निर्धारित समय या तिथि पर उनके कार्यालय में खोला जावेगी ।

मुख्य वन संरक्षक का ~~वृत्त~~ संभाग	स्थान जहां कि निविदाएं खोली जावेगी	निविदाओं के खोलने का समय और दिनांक	टिप्पणियां
1	2	3	4

(ख) निविदाकार को वन मण्डल की निविदा खुलना प्रारम्भ होने से पूर्व निम्नलिखित शर्त पर मण्डल की किसी भी इकाई की अपनी निविदा प्रत्याहरण करने की अनुमति दी जा सकेगी :-

(1) कि बची हुई निविदाओं को खोलने पर कम से कम एक वैध सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा उस इकाई के लिये विचारार्थ उपलब्ध रहेगी।

(2) कि इस निविदा के साथ निविदा सूचना की शर्त 6 के अनुसार जमा अग्रिम धन अधिहृत कर लिया जावेगा।

11. जिस निविदाकार की निविदा खोल ली गई है वह अपने प्रस्ताव (आफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबन्धनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य होगा जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरे व्यक्ति या पक्ष उस यूनिट के लिये खरीददार नियुक्त नहीं हो जाता इस शर्त का उल्लंघन करने पर ऊपर दी शर्त के अन्तर्गत भरण करने के लिए अपेक्षित जमा बयाने की रकम जप्त कर ली जावेगी तथा उसे ऐसी कालावधि के लिए जो कि तीन वर्ष से अधिक न हो राज्य सरकार काली सूची में अंकित कर सकेगी। इसके अतिरिक्त निविदाकार जिसने अपना प्रस्ताव (आफर) वापस लिया है, उस इकाई के पश्चातवर्ती निवर्तन से राज्य सरकार द्वारा उठाई गई हानि, यदि कोई हो, तो हानि की रकम उनसे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली के योग्य होगी परन्तु यदि पश्चातवर्ती निवर्तन में अधिक राशि प्राप्त होती है तो उस अधिक राशि पर निविदाकार का कोई अधिकार अथवा दावा नहीं होगा, हानि की संगणना हेतु अधोलिखित सूत्र का उपयोग किया जावेगा। हानि की राशि (रुपयों में) (=) निविदाकार द्वारा वापस ली गई निविदा की राशि (-) पश्चातवर्ती निवर्तन से प्राप्त आय की राशि (जिसमें संग्रहण व्यय, विक्रय कर एवं अन्य कर सम्मिलित नहीं है।)

टिप्पणी :— यदि उस इकाई का पश्चातवर्ती निवर्तन नहीं होता है तो निविदाकार से वह राशि वसूली योग्य होगी जो निविदाकार द्वारा वापस ली गई निविदा राशि (–) तेन्दू पत्ता के विभागीय संग्रहण से प्राप्त आय जिसमें विभाग द्वारा पत्तों के संग्रह पर किया गया वास्तविक व्यय, विक्रय कर एवं अन्य कर सम्मिलित नहीं है।

12. राज्य सरकार ऐसी प्राप्त की गई समस्त निविदाओं या उनमें से किसी भी निविदा को उस सम्बन्ध में कोई भी कारण बतलाये बिना स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। असफल निविदाकार की दशा में बयाना लौटा दिया जावेगा तथा सफल निविदाकार के सम्बन्ध में वह शर्त 16 के उपबन्ध के अनुसार प्रतिभूति निक्षेप की देनगी के रूप में शर्त 17 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार समायोजित की जायगी।

13. यदि किसी विशिष्ट इकाई के लिये वही दर एक से अधिक निविदाकारों द्वारा प्रस्तावित की जाती है तो ऐसी निविदाओं के खोलने के तुरन्त पश्चात् मुख्य वन संरक्षक उस इकाई के उन निविदाकारों को जो कि उपस्थित हों तथा जिन्होंने समान दर प्रस्तावित की हो, अपने प्रस्ताव में वृद्धि करने के लिये अनुज्ञात करेगा तथा ऐसे बढ़े हुए अधिकतम प्रस्ताव पर स्वीकृति या अन्यथा के लिये विचार किया जावेगा। प्रस्ताव में वृद्धि करने की अस्वीकृति की दशा में निविदाकार जिसकी कि निविदा स्वीकार की जानी चाहिये, पर्ची डालकर निश्चय किया जावेगा।

14. यदि किसी इकाई या किन्हीं इकाईयों के लिये प्राप्त हुई निविदाओं को स्वीकार करने योग्य न समझा जाये या किसी इकाई या किन्हीं इकाईयों के लिए कोई निविदाएं प्राप्त न हुई हों या किसी भी यूनिट या यूनिटों के लिये आई निविदा एवं किसी भी कारण अमान्य हो तो राज्य सरकार ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जिनका परस्पर करार हो जाय, किसी व्यक्ति या पक्ष या व्यक्तियों या पक्षों को ऐसी इकाई या इकाईयों के लिये क्रेताओं के रूप में नियुक्त कर सकेगी और ऐसी नियुक्तियां उन व्यक्तियों तक जिन्होंने कि ऐसी इकाई या इकाईयों के लिये निविदाएं प्रस्तुत की हो सीमित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। सफल निविदाकार को लागू होने वाली समस्त शर्तें क्रेताओं के रूप में नियुक्त व्यक्तियों या पक्षों को यथोचित परिवर्तन करके लागू होंगी।

15. सफल निविदाकार विशिष्ट इकाई के लिये क्रेता के रूप में नियुक्त किया जावेगा और तेन्दू पत्ते का ऐसा सम्पूर्ण परिमाण जो कि इकाई से क्रय तथा संग्रहित किया गया हो या जिसे क्रय तथा संग्रहित किये जाने की सम्भावना हो या उसमें ऐसा कम परिमाण जो कि राज्य सरकार, उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा ऐसी ईकाई में क्रेता को दिया जावे उसके द्वारा ऐसी रीति में निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो कि क्रेता द्वारा किये जाने वाले संलग्न करार में उल्लेखित है, क्रय किया जावेगा।

16. (क) इस प्रकार क्रेता नियुक्त किये जाने पर, नियुक्ति के आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर उसे निर्धारित फार्म में इकरार निष्पादित करना होगा, जिसे निष्पादित न करने पर नियुक्ति रद्द किये जाने के दायित्व-हीन होगी और इस प्रकार नियुक्ति रद्द कर दिये जाने पर बयाने के रूप में जमा की गई रकम का अधिग्रहण कर लिया जावेगा तथा राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिये जो तीन साल से अधिक न हो काली सूची में दर्ज कर सकेगी इसके अतिरिक्त क्रेता, जिसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई हो, उस इकाई के तेंदू पत्तों के पश्चातवर्ती निवर्तन से राज्य सरकार द्वारा उठाई गई हानि यदि कोई हो तो सहन करेगा और यदि वह हानि मांग नोटिस के जारी होने के 15 दिन के भीतर न जमा की हो तो हानि की रकम उनसे या उसके प्रति-भू से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली के योग्य होगी। परन्तु यदि पश्चातवर्ती निवर्तन में अधिक राशि प्राप्त होती है, तो उससे अधिक राशि पर क्रेता को कोई अधिकार अथवा दावा नहीं होगा। हानि की संगणना हेतु अधोलिखित सूत्र का उपयोग किया जावेगा।

हानि की राशि (रुपयों) में (=) रकम जो क्रेता की नियुक्ति का आदेश निरस्त न किये जाने पर राज्य सरकार को मिलती अर्थात् मूलतः स्वीकृत राशि (—) विक्रय राशि जिसमें संग्रहण व्यय, विक्रय कर एवं अन्य कर सम्मिलित नहीं है। यदि इकाई का बाद में निवर्तन हुआ है।

टिप्पणी:—यदि उस इकाई का पश्चातवर्ती निवर्तन नहीं होता, तो विगत क्रेता से वह राशि वसूली योग्य होगी जो मूलतः स्वीकृत राशि (–) तेन्दू पत्ते के विभागीय संग्रहण से प्राप्त शुद्ध आय जिसमें विभाग द्वारा पत्तों के संग्रहण पर किया गया वास्तविक व्यय विक्रय कर एवं अन्य कर सम्मिलित नहीं है।

(ख) जो इकाइयां विलम्ब से क्रय की जावेगी उनके क्रेता इकरारनामों में अधोलिखित अतिरिक्त शर्त होंगी—इस करार का निष्पादन क्रेता द्वारा विलम्ब से किया गया है परन्तु उसने वांछित समस्त कार्यों की पूर्ति की है तथा उसके दोनों के लिये वह उत्तरदायी होगा। क्रेता इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठावेगा कि उसकी नियुक्ति विलम्ब से होने के कारण अथवा इकरार का निष्पादन उसके द्वारा विलम्ब से किये जाने के कारण शाखा कर्तन वांछित रूप से नहीं कर सकने के कारण राज्य सरकार को होने वाली क्षति के लिये अथवा उससे सम्बन्धित अर्थदण्ड के लिये वह उत्तरदायी नहीं है।

17. (I) किसी विशिष्ट इकाई तथा किसी विशिष्ट वर्ष के लिये इस प्रकार नियुक्त किये गये क्रेता या क्रेतागण करार पर हस्ताक्षर करने के पूर्व करार के निबन्धनों तथा शर्तों को एवं अधिनियम एवं नियम तथा इन शर्तों के उपबन्धों के उचित अनुवर्तन के लिये करार की कालावधि तक के लिये गारन्टी के तौर पर प्रतिभूति (सेक्यूरिटी) के रूप में ऐसी राशि जमा करेगा जो स्वीकृत धन राशि (क्रय राशि) के 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) के बराबर हो। उपरोक्त रूप से संगणन की गई राशि नियुक्ति के आदेश में बताई जावेगी।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप या तो नकदी में या ऐसे वचन पत्रों (प्रामिसरी नोट्स) के रूप में जिनका कि इस प्रयोजन के मूल्यांकन बाजार मूल्य से 5 प्रतिशत कम पर किया जायेगा। यह प्रतिभूति निक्षेप सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी अथवा उप वन संरक्षक (तेन्दू पत्ता) राजस्थान के पक्ष में दी गई शेड्यूल बैंकों की गारन्टी या हैड पोस्ट मास्टर की मजूरी से सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी को अन्तरित किये गये अभ्यर्पण मूल्य पर डाकखाने के कैश सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दस वर्षीय ट्रेजरी सेविंग डिपाजिट सर्टिफिकेट, बारह वर्षीय नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दस वर्षीय डिफेन्स डिपोजिट सर्टिफिकेट या बारह वर्षीय नेशनल डिफेन्स सर्टिफिकेट के रूप में सम्बन्धित मण्डल अधिकारी के नाम से राजस्व निक्षेप की शकल में होगा।

(III) यह प्रतिभूति निक्षेप यथास्थिति या तो पूर्णतः या अंशतः मण्डल वन अधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली इकरार तथा इन शर्तों के सम्बन्ध के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो के प्रति समायोजित की जा सकती है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति द्वारा उसी आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जायेगी।

(IV) यदि क्रेता से वसूल किये जाने वाले बकाया शोध्य प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो तो अधिक होने वाली रकम जब तक कि उसकी पूर्ति मण्डल वन अधिकारी को उस आशय की सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाय भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(V) यथास्थिति प्रतिभूति निक्षेप या शेष रकम मण्डल वन अधिकारी द्वारा यह समाधान करने के पश्चात कि क्रेता ने इकरार अधिनियम नियमावली तथा इस सूचना की शर्तों के अन्तर्गत समस्त निबन्धों तथा औप-

चारिकताओं को निर्वाहित किया है और यह भी उसके विरुद्ध कोई देय या अकार्य नहीं है, क्रेता को लौटा दी जावेगी ।

18. क्रेता निजी उत्पादकों से तेन्दू पत्तों के कच्चे रूप में तथा बोरों में भरे बिना क्रय करेगा और उनका परिदान संग्रहण केन्द्र या केन्द्रों पर लेगा ऐसे अन्य स्थान पर लेगा जो कि या तो क्रेता के करार में उल्लेखित हो या क्रेता करार के चालू रहने के दौरान सहायक वन संरक्षक से निम्न न हो, पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर लिखित में प्रज्ञापित किये गये हों ।

19. यदि परिदान तथा क्रय के लिये निर्दिष्ट समस्त निबन्धों का सम्यकरूपेण पालन–परिपालन नहीं किया है तो यह समझा जावेगा कि पत्ते परिदान अथवा क्रय नही किये हैं ।

20. यदि क्रेता पत्ते को इकाई के भीतर अपने गोदामों में अथवा मण्डल वन अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के पदाधिकारी द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुमोदित इकाई के बाहर परन्तु उसी मण्डल के भीतर स्थित गोदाम के निरापद रखने के लिए लिखित रूप से सहमत होता है अथवा परिदत्त पत्ते पर विभाग से सम्बन्धित ऐसी शर्तों तथा निबन्धों पर लिये गये किराये के गोदाम में रखे जावें जैसा कि पारस्परिक सहमति द्वारा निश्चित किया जावे अथवा क्रेता पत्तों को राज्य के किसी अन्य वन मण्डल में स्थित अपने गोदामों में सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में वह इकाई स्थित हो, से अनुमोदित करा के उप शर्त (2) में वर्णित शर्तों तथा नियन्धों पर पत्ता रखने के लिये अपनी लिखित इच्छा व्यक्त करता है तो उसे निम्न शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन पत्तों को लेने तथा उन्हें निरापद अभिरक्षा के लिये परिवहन करने की अनुमति दी जा सकती है :—

क्रेता समस्त पत्ते के क्रय मूल्य का भुगतान निम्नानुसार करेगा : -

(1) आंशिक क्रय मूल्य जो 10 प्रतिशत होगा का भुगतान क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट या काल डिपोजिट रसीद द्वारा, 15 मई 200...... तक किया जावेगा ।

(2) शेष क्रय मूल्य का भुगतान निम्नलिखित तिथियों तक अनुमानतः 3 बराबर किश्तों में क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट अथवा काल डिपोजिट रसीद द्वारा किया जावेगा ।

किश्तों की तिथियां

प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1 अक्टूबर, 200	1 नवम्बर, 200........	1 दिसम्बर, 200......

क्रेता उस समय तक जब तक गोदाम में रखे जाने वाले पत्तों के बाबत सम्पूर्ण रकम जमा नहीं हो जाती, प्रत्येक गोदाम पर पर्याप्त नियन्त्रण के लिये एक फोरेस्ट गार्ड रखने पर उस पर लगने वाले समस्त निरीक्षण व्यय वहन करेगा । क्रेता इस व्यय की राशि को अग्रिम रूप में सम्बन्धित वन मण्डल में जमा करेगा । समय आंकने के लिये एक माह का भाग भी पूरा माह माना जावेगा, क्रेता पत्ता उठाने के पहले बाकी निरीक्षण व्यय यदि कोई हो, तो अदा करेगा ।

(3) देय विक्रय मूल्य के साथ विक्रय कर एवं अन्य कर भी क्रेता से वसूल किया जावेगा ।

(4) देय तिथियों को क्रय मूल्य या किश्तों का भुगतान न करने पर 16 प्रतिशत की दर से विलम्बित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा ।

(5) पूरे क्रय मूल्य के बराबर अथवा 45 प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर की अनुसूचित बैंकों की बैंक गारन्टी सम्बन्धित वन मण्डल वन अधिकारी के नाम पर 31 मार्च तक की अवधि की क्रेता द्वारा दिये जाने पर यथास्थिति गोदाम में रखा पूरे पत्ता अथवा एक तिहाई पत्ता क्रेता को मुक्त किया जावेगा । परन्तु क्रेता को देय क्रय मूल्य का भुगतान उपरोक्त निर्धारित तिथियों को करना होगा ।

21. क्रेता ऐसे लेखे ऐसे प्रपत्रों में रखेगा तथा ऐसे दिनांक को जो कि इकरार मे उल्लिखित किये जाएं या समय-समय पर मंडल वन अधिकारी द्वारा निर्धारित किये जांय या मण्डल वन अधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाए उनकी पालना करेगा तथा नियतकालिक विवरणिया प्रस्तुत करेगा ।

22. क्रेता इकाई के भीतर उसके द्वारा सेवा में रखे गये व्यक्तियों की सूची उनके नमूने के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे समस्त व्यक्ति जिनके सम्बन्ध मे मंडल वन अधिकारी द्वारा आपत्ति की जाती है क्रेता द्वारा सेवा से पृथक् कर दिये जावेंगे ।

23. ऐसे क्रेता जिसने कि अधिनियम, नियम अथवा इकरार की किन्ही शर्तों का उल्लंघन किया हो जिनके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत यह दंडित किया गया हो या उसके करारनामे को समाप्त कर दिया गया हो, तो

वह राज्य सरकार द्वारा काली सूची में ऐसी अवधि के लिये जो 5 साल तक हो सकती है नाम लिखे जाने के लिये दायित्वाधीन होगा तथा उसे राजस्थान में किसी भी इकाई के लिये क्रेता नियुक्त न किया जा सकेगा।

4. क्रेता राज्य सरकार के पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस अनुबन्ध को किसी अन्य व्यक्ति/पक्ष को नहीं सौंपेगा और न ही हस्तान्तरित करेगा किन्तु तेन्दू पत्ता की इकाइयों का हस्तान्तरण विक्री एवं चयन समिति की अनुमति से सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस शर्त पर किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में इकाई हस्तान्तरित की जावेगी से इकाई के कुल क्रय मूल्य की 2 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में अग्रिम वसूल की जावेगी।

5. निविदा देने के कार्य को इन शर्तों के बिना शर्त की स्वीकृति समझी जावेगी।

6. राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अधीन प्रत्येक वन मण्डल में गठित इकाइयों की सूची तथा विवरण राजस्थान राजपत्र विशेषांक.................................दिनांक...................में प्रकाशित किये जा चुके हैं।

7. इकाइयों के नक्शे, विगत वर्षों के तेन्दू पत्तों के संग्रहण एवं विक्रय से प्राप्त राशि की मात्रा तथा अन्य विवरण सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में देखे जा सकते हैं।

8. इस निविदा में "संग्रहण व्यय" से तात्पर्य सम्बन्धित वर्ष के लिए निश्चित की गई राजकीय वन तथा भूमियों से या निजि भूमियों से तेन्दू पत्ते तोड़कर लाने की मजदूरी एवं अभिकर्ता को देय हस्तान्तरण व्यय तथा पारिश्रमिक के योग से है। निविदाकार को राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 की धारा 6 के अधीन निश्चित की गई संग्रहण दर मजदूरों को चुकानी होगी। क्रेता सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित संग्रहण दर से ही प्रतिदिन श्रमिकों को देय पारिश्रमिक का भुगतान विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में करेगा। संग्रहण दर का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र में कर दिया जावेगा तथा इसकी जानकारी सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी के कार्यालय से की जा सकती है।

9. (1) (क) क्रेता निजि उत्पादकों से तेन्दू पत्तों को कच्चे रूप में तथा बोरों में भरे बिना क्रय करेगा और उनका परिदान संग्रहण केन्द्रों पर लेगा ऐसे अन्य स्थान पर लेगा जो कि या तो क्रेता के करार में उल्लिखित हो या क्रेता के करार के लागू रहने के दौरान किसी भी ऐसे अधिकारी को जो कि सहायक वन संरक्षक के पद से निम्न न हो द्वारा समय-समय पर लिखित में प्रकाशित किये गये हों।

(ख) क्रेता को परिदान के लिये सम्बन्धित मात्रा के लिये अधोलिखित दरों से मण्डल अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी को परिदान के समय अथवा उससे पूर्व नकद में भुगतान ऐसे पदाधिकारी से रसीद प्राप्त करके करना पड़ेगा:—

मद	दर प्रति मानक बोरा
1. राज्य सरकार को छोड़कर अन्य उगाने वालों से पत्ता खरीद की दर	....
2. राजकीय अभिकर्ता को देय हस्तान्तरण व्यय	....
3. राजकीय अभिकर्ता को देय पारिश्रमिक	....

(2) क्रेता उक्त राजपत्र प्रकाशित केन्द्रों पर व मण्डल अधिकारी द्वारा निश्चित केन्द्रों पर तथा करार चालू रहने के दौरान मण्डल वन अधिकारी द्वारा समय-समय पर लिखित में प्रकाशित किये जाने वाले केन्द्रों पर राजकीय वन तथा भूमियों से तेन्दू पत्ते का संग्रहण करेगा। क्रेता एवं पत्तों की तुड़ाई के लिये मजदूरों को रु...................................प्रति मानक बोरा की दर से तत्काल भुगतान करेगा तथा उसका लेखा रखेगा।

मुख्य वन संरक्षक

.... वन संभाग

....